(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 956–दो/2007 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2007 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 127/2004–05 अपील

1– श्रीमती जानकीवाई पत्नि स्व.मंशाराम मीणा
निवासी जावदेश्वर तहसील व जिला श्योपुर
2– श्रीमती कंचन पुत्री स्व.मंशाराम मीणा पत्नि बद्री
ग्राम मेवाड़ा तहसील व जिला श्योपुर
3– श्रीमती दुलारी पुत्री स्व.मंशाराम मीणा पत्नि
रामेश्वर निवासी सारंगपुर तहसील श्योपुर
4– श्रीमती सुलोचन पुत्री स्व.मंशाराम मीणा
पत्नि रामचरण ग्राम सारंगपुर तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

सियाराम पुत्र कल्याण मीणा ग्राम जावदेश्वर
तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 127/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम जावदेश्वर स्थित भूमि कुल किता 10 कुल रकबा 20 वीघा के सहभूमिस्वामी हजारी एंव मंशाराम थे। इस भूमि में से सर्वे कमांक 581/2, 582 तथा 679 कुल रकबा 2 वीघा 19 विसवा मंशाराम ने रोशनलाल मीना को विक्रय कर दी। शेष हिस्से की भूमि पर नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर ने नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 48 पर आदेश दिनांक 25-11-88 से सियाराम का नाम नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 22/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-2-2005 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 127/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के कम में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 127/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2007 के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर के समक्ष नामान्तरण पंजी प्रस्तुत की गई, रिकार्डेड भूमिस्वामी मंशाराम पुत्र गोपाल मीना ने सियाराम के हित में नामान्तरण किये जाने हेतु सहमति दी है जिस पर से नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर ने आदेश दिनांक 25-11-88 से सियाराम का नामान्तरण स्वीकार किया है। नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर के नामान्तरण आदेश दिनांक 25-11-88 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष 15 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। जब आवेदकगण स्वयं् को मंशाराम का विधिक वारिस बता रहे हैं तब यह नहीं माना जा सकता कि पिछले पन्द्रह वर्ष से निरन्तर वादित भूमि पर अनावेदक के खेती करते रहने के तथ्य का तथा नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर के आदेश दिनांक 25-11-88 का आवेदकगण को पता न चला हो। इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त , चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2007 से

आवेदकगण की अपील निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार त्रृटि नहीं होने से विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 127/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर